प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

(**एकल पीठ**: माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायमूर्ति)

<u>द्वितीय अपील क्रमांक 322/2006</u>

ओमप्रकाश दुबे

बनाम

कपूरी बाई और अन्य।

<u>निर्णय को उद्घोषणा हेतु दिनांक 1/12/2011 के लिए सूची बद्ध करें।</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 322/2006

अपीलकर्ता ओमप्रकाश दुबे, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष (वर्तमान में 49 वर्ष) है,

पिता प्रतिवादी क्रमांक 1 स्वर्गीय राधिकाचरण दुबे , निवासी ज्योतिपुर, टिकारसानी, तहसील पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग)।

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी

1(क) कपूरी बाई उम्र लगभग 74 वर्ष, विधवा राधिकाचरण दुबे

प्रतिवादी क्रमांक 02 निवासी ज्योतिपुर, तहसील पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

1(ख) शोभा पटैरिया उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी सकलिया, इंदौर (मध्य प्रदेश)

1(ग) नीलम तिवारी, पति-ओमप्रकाश तिवारी, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग)

1(घ) मीना मिश्रा, उम्र लगभग 50 वर्ष, पति-ओमप्रकाश मिश्रा, निवासी एन.टी.पी.सी. कॉलोनी, जमनीपाली, तहसील कटघोरा, जिला केरबे (छ.ग)

1(ङ) ओंकार प्रसाद दुबे, उम्र लगभग 44 वर्ष, पिता-राधिकाचरण दुबे, निवासी ज्योतिपुर तहसील पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

प्रत्यर्थी 2. छत्तीसगढ़ राज्य, जिला कलेक्टर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

प्रतिवादी क्रमांक 2

<u>प्रत्यर्थी</u> 3. हरिकांत दुबे, उम्र लगभग 57 वर्ष, पिता- राधिकाचरण, निवासी स्नेहनगर, प्रतिवादी क्रमांक 3 पश्चिम श्रेणी संख्या 6, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।

(व्य.प्र.सं. की धारा 100 के तहत द्वितीय अपील)

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.के.सी. तिवारी और अधिवक्ता श्री शशि भूषण अपीलकर्ता की ओर से ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.ए. अंसारी, सहित श्री योगेंद्र चतुर्वेदी, और

श्री देवेश केला अधिवक्तागण प्रतिवादी संख्या 1(क) से 1(ङ) की ओर से

पैनल अधिवक्ता श्री अखिल अग्रवाल राज्य/प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं

(**एकल पीठ**: माननीय श्री **टी.पी. शर्मा, न्यायमूर्ति**)

<u>निर्णय</u>

(1 दिसंबर, 2011 उद्घोषित किया गया)

1. व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में व्य.प्र.सं.) की धारा 100 के तहत दायर इस द्वितीय अपील में, अपीलकर्ता ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफ़.टी.सी.), पेंड्रा रोड द्वारा व्यवहार अपील संख्या 108ए/2002 में दिनांक 10.4.2006 को पारित निर्णय एवं डिक्री की वैधता और औचित्य को चुनौती दी है, जिसमें व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग पेंड्रा रोड द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक

83ए/2000 में दिनांक 31.8.2001 को पारित निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि की गई है, जिसके द्वारा व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग ने प्रतिवादियों के पक्ष में वाद का निर्णय सुनाया है।

2. *वर्तमान द्वितीय अपील को 15.9.2011 को निम्नलिखित विधि के सारभूत प्रश्न पर स्वीकार किया गया:*

क्या वादी द्वारा मूल रूप से दायर किया गया वाद, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 4(iii)(b) के तहत वर्जित होने के कारण विचारणीय नहीं था?

3. वादी के प्रारंभिक मामले के अनुसार, अपीलकर्ता के पिता राधिकाचरण दुबे ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद टिकारसानी गांव, तहसील पेंड्रा रोड में स्थित खसरा संख्या 34/6 (0.03 एकड़) और खसरा संख्या 34/9 (0.06 एकड़) वाली संपत्ति, जिस पर मकान बना हुआ था, 9,000 रुपये/- के प्रतिफल का भुगतान कर खरीदी थी। यह संपत्ति अपीलकर्ता के नाम पर थी। उस समय अपीलकर्ता छात्र था और उसके पास संपत्ति खरीदने के लिए आय का कोई स्रोत नहीं था। अपीलकर्ता के पिता संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता हैं। वर्तमान में अपीलकर्ता का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। अपीलकर्ता ने अपने पिता को धमकी दी कि वह उन्हें संपत्ति से बेदखल कर देगा, जिसके बाद अपीलकर्ता के पिता ने संपत्ति पर स्वत्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. लिखित कथन दाखिल करके अपीलकर्ता ने वाद में लगाए गए प्रतिकूल आरोपों का खंडन किया है और विशेष रूप से दावा किया है कि उसने संपत्ति अपनी स्वयं की आय से खरीदी है, उसके पिता का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। वाद की सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के पिता का निधन हो गया और उसकी माता, तीन बहनों और एक भाई को मृतक राधिकाचरण दुबे के उत्तराधिकारी के रूप में पक्षकार बनाया गया।

5. उन्होंने वादपत्र में संशोधन किया है और यह घोषणा करने की मांग की है कि संपत्ति अपीलकर्ता और प्रत्यार्थियों की संयुक्त संपत्ति है। विस्तृत संशोधन द्वारा वर्तमान प्रत्यार्थियों ने वादपत्र में संशोधन

किया है कि प्रत्यार्थी संख्या 1 का पति और अन्य प्रत्यार्थियों का पिता संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता था। पक्षकारो को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, माननीय व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग पेंड्रा रोड ने इस आधार पर वाद को स्वीकार किया कि भूमि राधिकाचरण दुबे के स्वामित्व में थी और अपीलकर्ता और प्रत्यार्थी राधिकाचरण दुबे के वारिस हैं, इसलिए वे संपत्ति में समान हिस्से के हकदार हैं। अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायलय के निर्णय और डिक्री की पुष्टि करते हुए निष्कर्ष दिया है कि संपत्ति राधिकाचरण दुबे द्वारा खरीदी गई थी, न कि वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा, इसलिए राधिकाचरण दुबे के वारिस होने के नाते वे समान हिस्से के हकदार हैं।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना आक्षेपित निर्णय और डिक्री, विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री तथा विचारण न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि दावे और वाद पत्र के अभिवचन के अनुसार राधिकाचरण दुबे संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता थे, लेकिन उन्होंने विवादित संपत्ति अपनी निजी आय से खरीदी थी और यह संपत्ति उनकी स्व-अर्जित संपत्ति थी। विक्रय विलेख वर्तमान अपीलकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया गया था। वाद पत्र में किए गए अभिवचन से अपीलकर्ता के पिता राधिकाचरण दुबे ने वस्तुतः अभीवचन किया है और उसे प्रमाणित कर दिया है कि यह बेनामी संव्यवहार था और संपत्ति अपीलकर्ता के नाम पर खरीदी गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1988') के लागू होने के बाद बेनामी संव्यवहार (प्रतिषिइज) हो गया है। अधिनियम, 1988 की धारा 3 बेनामी संव्यवहार को प्रतिबंधित करती है, लेकिन यदि संपत्ति अविवाहित पुत्री और पत्नी के लाभ के लिए उनके नाम पर खरीदी जाती है, तो वह अधिनियम, 1988 से प्रभावित नहीं होगी। अधिनियम, 1988 की धारा 4 बेनामी रूप से धारित किसी संपत्ति के संबंध में किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध वाद और दावा दायर

करने पर रोक लगाती है जिसके नाम पर संपत्ति धारित है। अधिनियम, 1988 की धारा 4 की उपधारा (3) धारा 4 की उपधारा (1) का अपवाद है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपने वाद में राधिकाचरण दुबे ने यह नहीं कहा है कि उन्होंने संपत्ति अपीलकर्ता के नाम पर खरीदी है। अपीलकर्ता एक हिंदू अविभाजित परिवार में सहदायिक था और वह परिवार के सहदायिकों के लाभ के लिए संपत्ति धारण कर रहा था। राधिकाचरण दुबे ने यह भी अभिवचन नहीं किया है कि अपीलकर्ता न्यासी था या न्यासी की भूमिका में था और संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए धारण कर रहा था जिसके लिए वह न्यासी था या उन सदस्यों के लिए जिनके लिए वह इस भूमिका में था। मूल वादी राधिकाचरण दुबे की अभिवचन के अनुसार, संपत्ति स्व-अर्जित संपत्ति थी, इसलिए प्रतिवादियों द्वारा वाद में बाद में किया गया संशोधन जिसमें इसे संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति बताया गया था, संहिता के आदेश 22 नियम 3 के तहत स्वीकार्य नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि प्रतिवादी की मृत्यु की स्थिति में, प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि, संहिता के आदेश 22 के नियम 4 के उप-नियम (2) के अनुसार, प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों के रूप में अपनी भूमिका के अनुरूप बचाव कर सकते हैं, लेकिन यह अधिकार संहिता के आदेश 22 के नियम 3 के तहत वादी के विधिक प्रतिनिधियों को उपलब्ध नहीं है। मृतक वादी के विधिक प्रतिनिधि ही वाद को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए, यह दावा कि संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी और वे संयुक्त स्वामी हैं, विधि के तहत उनके लिए स्वीकार्य नहीं था और संशोधन भी विधिक रूप से संभव नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **आर. राजगोपाल रेड्डी (मृत) के उत्तराधिकारी और अन्य बनाम पद्मनी चंद्रशेखरन (मृत) के उत्तराधिकारी**[1] के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारीत किया है कि धारा 4 की उपधारा (1) और (2) पूर्ववर्ती नहीं हैं। धारा 4(i) एवं धारा 4(1) के लागू होने से पूर्व किए गए बेनामी संव्यवहार से संबंधित संपत्ति पर वास्तविक स्वामी द्वारा अधिकार लागू कराने हेतु दायर वाद, उक्त धाराओं के अधीन बाधित नहीं हैं ।

[1]. AIR 1996 SC 238

9. इसके विपरीत, उत्तरवादी संख्या 1(क) से 1(ङ) के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपील का विरोध करते हुए तर्क दिया कि संपत्ति राधिकाचरण दुबे द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता के नाम पर खरीदी गई थी, वर्तमान अपीलकर्ता उनका और संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य था। अपीलकर्ता के पिता अपने पुत्र के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए विधिक रूप से सक्षम थे, अपीलकर्ता न्यासी के रूप में संपत्ति धारण कर रहा था और यह अधिनियम, 1988 की धारा (3) के उपखंड (ख) के अनुसार वर्जित नहीं है। विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे तर्क दिया और यह अनुतोष मांगी कि उन्हें संपत्ति का स्वामी घोषित किया जाए और वर्तमान अपीलकर्ता, यानी मूल प्रतिवादी को मूल वादी राधिकाचरण दुबे के कब्जे में हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से रोका जाए। वादपत्र से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के पिता ने अपनी निजी आय से अपने पुत्र अपीलकर्ता के नाम पर संपत्ति खरीदी थी। यह उनकी अपनी संपत्ति थी और उन्होंने स्वामित्व की घोषणा का दावा किया था कि वे संपत्ति के स्वामी हैं और अपीलकर्ता के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की भी प्रार्थना की । पूरे वादपत्र में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि यह संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी जिसे राधिकाचरण दुबे ने संयुक्त हिंदू परिवार के लिए खरीदा था। यह तर्क दिया गया कि पक्षकारो की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि यह संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी और प्रत्यर्थी और अपीलकर्ता संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हैं, इसलिए, संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य होने के नाते दोनों पक्षों का संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. प्रत्यर्थी संख्या 1(क) से 1(ङ) के विद्वान अधिवक्ताओं ने **लखनऊ एस्टेट ड्यूटी नियंत्रक बनाम आलोक मित्रा**[2] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारीत किया है कि बेनामी संव्यवहार बेनामीदार को कोई स्वामित्व प्रदान नहीं करता, बल्कि वास्तविक स्वामी को स्वामित्व प्रदान करता है। जब बेनामीदार अपने नाम पर दर्ज संपत्ति पर कब्जा रखता है, तो वास्तविक स्वामी के न्यासी के रूप में, वह केवल नाममात्र का लेनदार होता है, वास्तविक स्वामी का उपनाम होता है। विद्वान अधिवक्ताओं ने **प्रदीप कुमार महावीर प्रसाद और अन्य**[3] के मामले का भी अवलंब लिया,

[2]. AIR 1981 SC 102
[3]. AIR 2003 Andra Pradesh 107

जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारीत किया है कि यदि संपत्ति नाबालिग दत्तक पुत्र के नाम पर खरीदी जाती है, तो वह दत्तक ग्रहण के कारण अविभाजित परिवार का सहदायिक बन जाता है और ऐसे मामले में निषेध लागू होता है क्योंकि यह निषेध के अपवाद के अंतर्गत आता है। विद्वान अधिवक्ताओं ने **भीम सिंह (मृत) के उत्तराधिकारी और अन्य बनाम कान सिंह**[4] के मामले का भी अवलंब किया , जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारीत किया है कि भारत में आम तौर पर दो प्रकार के बेनामी संव्यवहार मान्यता प्राप्त हैं। जब कोई व्यक्ति अपने पैसों से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदता है और उस दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का उसका कोई आशय नहीं होता, तो इस संव्यवहार को बेनामी संव्यवहार कहते हैं। ऐसे में, संपत्ति का हस्तांतरण पाने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति रखता है जिसने खरीद के लिए पैसे दिए हैं, और वही व्यक्ति संपत्ति का असली मालिक होता है। दूसरा मामला, जिसे आम तौर पर बेनामी संव्यवहार कहा जाता है, वह है जब संपत्ति का मालिक किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित करने के आशय के बिना हस्तांतरण करता है। ऐसे में, हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति ही संपत्ति का असली स्वामी बना रहता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. वादपत्र में किए गए अभिवचन के अनुसार, अपीलकर्ता के पिता ने दिनांक 5.1.1976 को वर्तमान अपीलकर्ता के नाम पर संपत्ति खरीदी थी, जो मूल वादी राधिकाचरण दुबे का पुत्र था। वादपत्र में किए गए अभिवचन के अनुसार, उन्होंने अपनी निजी आय से संपत्ति खरीदी थी। उन्होंने दावा किया और यह अनुतोष मांगी कि उन्हें संपत्ति का स्वामी घोषित किया जाए और वर्तमान अपीलकर्ता यानी मूल प्रतिवादी को मूल वादी राधिकाचरण दुबे के कब्जे में हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से निषेधित किया जाए। वादपत्र से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के पिता ने अपनी निजी आय से अपने पुत्र अपीलकर्ता के नाम पर संपत्ति खरीदी थी। यह उनकी अपनी संपत्ति थी और उन्होंने स्वामित्व की घोषणा का दावा किया था कि वे संपत्ति के स्वामी हैं और अपीलकर्ता के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की भी प्रार्थना की थी। पूरे वादपत्र

[4]. AIR 1980 SC 727

में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि यह संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी या राधिकाचरण दुबे द्वारा संयुक्त हिंदू परिवार के लिए खरीदी गई थी।

12. 1988 का अधिनियम 20.9.1995 को लागू हुआ। अधिनियम, 1988 की धारा 3 यह बेनामी संव्यवहार को प्रतिषेध करता है, जो इस प्रकार है:

"3. बेनामी संव्यवहार का प्रतिषेध (1) कोई भी व्यक्ति बेनामी संव्यवहार नहीं करेगा।-

(2) उपधारा (1) में कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी- —

(क) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी या अविवाहित पुत्री के नाम पर की गई संपत्ति का क्रय को लागू नहीं होगी और जब तक इसके विपरीत साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक यह उपधारणा की जाएगी कि उक्त संपत्ति का क्रय पत्नी या अविवाहित पुत्री के लाभ के लिए किया गया था।

(ख) प्रतिभूतियां जो धारित हैं-

(i) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन किसी निक्षेपागार द्वारा रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में अथवा

(ii)किसी निक्षेपागार के अभिकर्ता के रूप में सहभागी द्वारा, धारित प्रतिभूतियों पर यह लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण — 'निक्षेपागार' और 'सहभागी' पदों के वही अर्थ होंगे जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के क्रमशः खंड (ङ) और खंड (छ) में हैं।

(3) जो कोई बेनामी संव्यवहार करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की होगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन अपराध असंज्ञेय और जमानतीय होगा।

13. धारा 4 दावे और वाद पर रोक लगाती है, जो इस प्रकार है-

"4. बेनामी धारित संपत्ति के प्रत्युद्धरण के अधिकार का प्रतिषेध—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) बेनामी धारित किसी संपत्ति के संबंध में किसी अधिकार को प्रवर्त करने के लिए कोई वाद, दावा या कार्यवाही किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके नाम में संपत्ति धारित है, या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो ऐसी संपत्ति का वास्तविक स्वामी होने का दावा करता है या उसकी ओर से, किसी न्यायालय में नहीं होगी।

(2) बेनामी धारित संपत्ति के वास्तविक स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से, उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके नाम संपत्ति धारित है, या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, किसी वाद, दावे या कार्यवाही में बेनामी धारित किसी संपत्ति की बाबत किसी अधिकार पर आधारित कोई प्रतिरक्षा अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(3) इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां—

(क) वह व्यक्ति, जिसके नाम में संपत्ति धारित है, हिंदू अविभक्त कुटुंब में सहदायिक है और ऐसी संपत्ति कुटुंब के सहदायिकों के लाभ के लिए धारित है; या

(ख) वह व्यक्ति, जिसके नाम में संपत्ति धारित है, न्यासी है या वैश्वासिक हैसियत में स्थित कोई अन्य व्यक्ति है, और संपत्ति ऐसे अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए धारित है, जिसके लिए वह न्यासी है या जिसके प्रति वह ऐसी हैसियत में स्थित है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. राधिकाचरण दुबे की मृत्यु के बाद, प्रत्यार्थियों को संहिता के आदेश 22 के नियम 3 और नियम 11 के अनुसार राधिकाचरण दुबे के उत्तराधिकारी के रूप में संयोजित किया गया हैं। संहिता के आदेश 22 के नियम 3 और नियम 4 (1) और (2) पक्षकारों के प्रतिनिधियों को संयोजित करने और वाद को जारी रखने के उनके अधिकार से संबंधित हैं, जो इस प्रकार हैं-

"आदेश 22. 1.xxx xxx xxx xxx

2. xxx xxx xxx xxx

“3. कई प्रतिवादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया-

(1) जहां दो या अधिक प्रतिवादियों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी वादी को या अकेले वादियों को बचा नहीं रहता है, या एकमात्र वादी अथवा एकमात्र उत्तरजीवी वादी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बना रहता है,

वहां इस निमित्त आवेदन किए जाने पर न्यायालय मृत वादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाएगा और वाद में अग्रसर होगा।

(2) जहां विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाता है, वहां वाद का उपशमन वहां तक हो जाएगा जहां तक मृत वादी का संबंध है और प्रतिवादी आवेदन पर न्यायालय उन खर्चों को उसके पक्ष में अधिनिर्णीत कर सकेगा जो उसने वाद की प्रतिरक्षा में व्यय किए हों और वे मृत वादी की संपदा से वसूल किए जाएंगे।

4. कई प्रतिवादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया-

(1) जहां दो या अधिक प्रतिवादियों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादी के या अकेले प्रतिवादियों के विरुद्ध बचा नहीं रहता है, या एकमात्र वादी या एकमात्र उत्तरजीवी प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है, वहां इस निमित्त किए गए आवेदन पर न्यायालय मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाएगा और वाद में अग्रसर होगा।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(2) इस प्रकार पक्षकार बनाया गया कोई भी व्यक्ति, जो मृत प्रतिवादी का विधिक प्रतिनिधि है, अपनी हैसियत के लिए समुचित प्रतिरक्षा कर सकेगा।

(3) XXX XXX XXX

(4)XXX XXX XXX

(5)XXX XXX XXX”

संहिता के आदेश 22 के नियम 3 (1) के अनुसार, मृतक वादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाया जा सकता है और वे वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन संहिता के आदेश 22 के नियम 4 (2) के अनुसार, मृतक प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाए जाने पर "विधिक प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका के अनुरूप कोई भी बचाव प्रस्तुत कर सकेगा। उन्हें प्रतिवादी का बचाव जारी रखने की आवश्यकता नहीं है, अन्य बातों के अलावा, उन्हें कोई भी बचाव प्रस्तुत करने की अनुमति है, लेकिन वे अपने अधिकार का प्रयोग करके वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। संहिता के आदेश 22 के

नियम 3 में, विधायिका ने वादी के विधिक प्रतिनिधि को मूल वादी के दावे या अभिवचन के विपरीत कोई भी दावा या अभिवचन प्रस्तुत करने से प्रतिबंधित किया है।

15. वर्तमान प्रतिवादी, जो मूल वादी राधिकाचरण दुबे के विधिक प्रतिनिधि हैं, को केवल वाद की कार्यवाही करने की अनुमति दी गई थी और उन्हें वादी के मूल दावे के विपरीत कोई भी अभिवचन या दावा करने की अनुमति नहीं थी। मूल वादी ने दावा किया है कि यह उनकी स्व-अर्जित संपत्ति थी, उन्होंने यह दावा नहीं किया कि यह संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी और यह घोषित किया जाना चाहिए कि संयुक्त हिंदू परिवार के सभी सदस्य इसके स्वामी और हकदार थे, इसलिए वर्तमान प्रत्यर्थी को मूल वादी के दावे के विपरीत ऐसा कोई संशोधन या दावा करने का अधिकार नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **द कंट्रोलर ऑफ एस्टेट ड्यूटी, लखनऊ** एंव **भीम सिंह (उपरोक्त)** के मामले में अभिनिर्धारीत किया है, निश्चित रूप से पुत्र के नाम पर खरीदी गई संपत्ति बेनामी संपत्ति थी और पुत्र ही बेनामीदार था।

17. वर्तमान मामले में, राधिकाचरण दुबे के दावे के अनुसार, उन्होंने वर्तमान अपीलकर्ता के नाम पर संपत्ति खरीदी थी, अर्थात् अपीलकर्ता बेनामीदार था, लेकिन 1988 के अधिनियम के लागू होने के बाद, 1988 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के आलोक में राधिकाचरण दुबे ऐसी संपत्ति पर किसी भी अधिकार का दावा करने के हकदार नहीं थे।

18. अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार, संपत्ति सहदायिकों के परिवार के लाभ के लिए सहदायिक के नाम पर रखी जा सकती है और सहदायिक के विरुद्ध कोई भी वाद, दावा या कार्रवाई अधिनियम, 1988 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (क) के अनुसार निषिद्ध नहीं है।

19. जैसा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदीप कुमार (उपरोक्त) मामले में अभिनिर्धारीत किया है, यदि संपत्ति नाबालिग दत्तक पुत्र के नाम पर खरीदी जाती है तो वह दत्तक ग्रहण के कारण अविभाजित परिवार का सहदायिक बन जाता है, लेकिन वर्तमान मामले में अपीलकर्ता सहदायिक नहीं था।

20. मूल वादी या वर्तमान प्रत्यर्थी/वादी के उत्तराधिकारी ने न तो यह साबित किया है कि अपीलकर्ता संपत्ति को न्यासी के रूप में उन अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए धारण कर रहा था जिनके लिए वह न्यासी के रूप में कार्य कर रहा था। अन्य बातों के अलावा, मूल याचिका और संशोधित याचिका के अनुसार, संपत्ति राधिकाचरण दुबे की स्व-अर्जित संपत्ति थी या किसी संयुक्त हिंदू परिवार की थी। मूल वादी के प्रतिनिधियों द्वारा यह तर्क नहीं दिया गया है कि अपीलकर्ता वर्तमान प्रतिवादियों, मूल वादी और अन्य लोगों के लिए न्यासी या न्यासी के रूप में कार्य कर रहा है। अन्य बातों के अलावा, यह विशेष रूप से कहा गया है कि संपत्ति का मालिक वादी था और उसने वर्तमान अपीलकर्ता के नाम पर संपत्ति खरीदी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. स्पष्ट रूप से वर्तमान प्रत्यर्थीयों या मूल वादी का मामला अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंण्ड (क) या धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (क) और (ख) के अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है, अन्य बातों के अलावा, जैसा कि अभिवचन में कहा गया है, यह बेनामी संपत्ति थी और अधिनियम, 1988 के लागू होने के बाद, वास्तविक स्वामी को अधिनियम, 1988 की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार बेनामी रूप से धारित किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए वाद, दावा या कार्रवाई दायर करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

22. संहिता के आदेश 22 नियम 3 (1) के अनुसार, वर्तमान प्रतिवादी अपने वादपत्र में संशोधन करने या मूल वादी के दावे के अतिरिक्त कोई अन्य दावा करने के हकदार नहीं थे। वादी के निवेदन के अनुसार, अपीलकर्ता बेनामीदार था और अधिनियम, 1988 की धारा 4 (1) और धारा 3 (क) एवं (ख) के अनुसार वाद विचारणीय नहीं था।

23. परिणामस्वरूप, इस अपील के निर्णय हेतु बनाए गए विधि का सारवान प्रश्न सकारात्मक रूप से निर्णत किया गया है। विधि के सारवान प्रश्न पर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और इसे स्वीकार किया जाता है। अपीलकर्ता के विरुद्ध दायर व्यवहार वाद खारिज किए जाने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है।

24. पक्षकार अपने-अपने खर्चों का वहन करेंगे।

25. अनुसूची के अनुसार अधिवक्ता शुल्क देय।

26. तदनुसार डिक्री तैयार किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

1/12/2011

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषामें इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।